

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023-पौष 16, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रप्रकाश बेलदार पुत्र श्री राजकुमार बेलदार यह कि मेरी कक्षा 10, कक्षा 12 वीं, स्कॉलर पंजी एवं कॉलेज की अंकसूची में मेरा नाम चन्द्रप्रकाश ओड दर्ज हो गया है जो कि गलत है मेरा सही नाम चन्द्रप्रकाश बेलदार पुत्र श्री राजकुमार बेलदार अतएव मेरी कक्षा 10, कक्षा 12 वीं, स्कॉलर पंजी एवं कॉलेज की अंकसूची में मेरा नाम चन्द्रप्रकाश बेलदार दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे चन्द्रप्रकाश बेलदार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(चन्द्रप्रकाश ओड)

नया नाम
(चन्द्रप्रकाश बेलदार)
निवासी, वार्ड नं. 12 अर्जुन नगर
औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

(G-1)

नाम परिवर्तन

मैं, सरननाथ डुमार महार रेजीमेंट सेंटर (रिकार्ड रुम) सागर म.प्र. में पदस्थ हूँ मेरा आर्मी नं. 4558564 पी है. मेरे विभागीय सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम सरन शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर दर्ज हो गया है जबकि मेरा पूरा नाम सरननाथ डुमार है जो कि मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी दर्ज है. जो कि सही है. अतः मेरे विभागीय सर्विस रिकार्ड में मेरा पूरा नाम सरननाथ डुमार दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सरन)

नया नाम
(सरननाथ डुमार)

(G 2)

नाम परिवर्तन

मैं, जैश्री खत्री (jaishree khatri) पत्नी श्री लखमी चंद खत्री सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम जया खत्री (Jaya Khatri) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है. जबकि वर्तमान में मैं, जैश्री खत्री (jaishree khatri) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते इत्यादि में लिखा है. जैश्री खत्री (jaishree khatri) एवं जया खत्री (Jaya khatri) दोनों मेरे ही नाम है एवं भविष्य में भी मैं जैश्री खत्री (jaishree khatri) पत्नी श्री लखमी चंद खत्री के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम जया खत्री (Jaya khatri) के स्थान पर जैश्री खत्री (jaishree khatri) लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
जया खत्री (Jaya khatri)

नया नाम
जैश्री खत्री (jaishree khatri)
पता-वार्ड नं. 20, ढीमर पुरा, डबरा, (म.प्र.)

(G-3)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार श्री मनोज कुमार कनोजिया आधार नं. 619261399727 आत्मज श्री सोहनलाल निवासी-झुग्गी नंबर-2665, 7 की झुग्गियों, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) का निवासी है जो कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल में स्थाईकर्मि कर्मचारी के पद पर पदस्थ है उसके कार्यालयीन अभिलेख में त्रुटिवश उसके पिताजी का नाम खूबचंद अंकित हो गया है जबकि उनका वास्तविक नाम सोहनलाल है तथा यही नाम उनके आधार नं. 949841784814 में अंकित है तथा वह इसी नाम से जाने व पहचाने जाते है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाने व पहचाने जायेंगे.

पुराना नाम :
(खूबचंद)

नया नाम :
(सोहनलाल)

(G-4)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, "प्रेमलता नायर W/o श्री संजय नायर "R/o म.न. लिली-10 सनसिटी कॉलोनी एयरपोर्ट रोड, लालघाटी भोपाल की हूँ मेरा नाम मेरे सम्पूर्ण दस्तावेजों (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों) में नाम "प्रेमलता नायर, दर्ज है. जबकि मेरी पुत्री "नित्या नायर D/o श्री संजय नायर के सम्पूर्ण रिकॉर्ड की अंकसूची में माँ के नाम वाले कॉलम में मेरा लता नायर दर्ज चला आ रहा है. उक्त दोनो नाम " प्रेमलता नायर एवं लता नायर, एक ही व्यक्ति अर्थात मेरा ही नाम है एवं मैं, उपरोक्त दोनों नाम से जानी पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम
(लता नायर)

नया नाम
(प्रेमलता नायर)

(G 5)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, डीलक्स आटोमोबाईल्स फर्म, फर्म एवं सोसायटी कार्यालय सागर में पंजीकृत है. जिनके पार्टनर विकास जैन एवं मुन्नालाल जैन थे. जिसमें पार्टनर मुन्नालाल जैन पिता गुलाबचंद जैन की मृत्यु दिनांक 10.11.2020 को हो गई है. जिसमें स्व. मुन्ना लाल जैन के स्थान पर उनकी पत्नि श्रीमती छाया जैन एवं पुत्र विशाल जैन दोनों निवासी गीतांजली कॉलोनी शास्त्री वार्ड तह. जिला सागर को पार्टनर बनाया गया है एवं पार्टनर विकास जैन पिता स्व. राजकुमार जैन अपने भागीदारी शेयर में अपने पुत्र अमन जैन निवासी शांति रेसीडेंसी सागर को पार्टनर बनाया गया है. अतः सर्व साधारण को सूचित हो.

फर्म- डीलक्स आटोमोबाईल्स
भागीदार,
छाया जैन

(G-6)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स गोपाल इंटरप्राइजेस पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 07 मार्च 2003 पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 11 दिसम्बर 2021 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पिता श्री माता प्रसाद गुप्ता जी दिनांक 26 जून 2021 को स्वर्गवास (देहांत) होने के कारण श्रीमती अर्चना अग्रहरि पत्नि श्री श्याम सुन्दर अग्रहरि जी को इस भागीदारी फर्म में दिनांक 11.12.2021 को सम्मिलित शामिल किया गया है. उक्त फर्म में परिवर्तित भागीदार, नये एवं निर्वत भागीदार से फर्म से सम्बन्धित कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति हो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें. समय व्यतीत होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी.

"M/s GOPAL ENTERPRISE"
(GOVIND AGRAHARI)
Partner
MAIN ROAD, SINGRAULI (M.P.)

(G-7)

NOTICE

U/s. OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the Firm M/s. SANWARIYA BUILDERS & DEVELOPERS of Bhopal vide Registration No. ACNFS5858F undergone the following changes :-

That, (01) Smt. Sunita yadav W/o. Shri Dilip Singh Yadav, R/o. H. No. 16, Gali No. 02, Risaldar Colony, Cholla Road, Bhopal (M.P.) (02) Shri Arvind Sahu S/o. Shri Shiv Narayan Sahu, R/o. H. No. 57, Risaldar Colony, Cholla Road, Bhopal (M.P.) & (03) Shri Lokesh Garg S/o. Shri Ramesh Chandra Garg, R/o. H. No. 62, Tallyya, Bhopal (M.P.) are pursuance to his desire to retiring & incoming partner Shri Dilip Singh Yadav S/o. Shri Pratap Singh Yadav R/o. H. No. 16, Gali No. 02, Risaldar Colony, Cholla Road, Bhopal (M.P.) from the partnership firm with effect from 02/02/2022.

For. M/s. Sawariya Builders & Developers
Umesh Yadav

(G 8)

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Gurjar S/o Jagdeesh Gurjar R/o Village Mohuna Gurjar, Tehsil Rahatgarh, Distt. Sagar (M.P.) 470119 Declare that Previously I was known as Rajkumar S/o Jagdeesh Gurjar Now I have changed my name as Rajesh Gurjar S/o Jagdeesh Gurjar Kindly read my name as Rajesh Gurjar S/o Jagdeesh Gurjar Instead of Rajkumar Gurjar S/o Jagdeesh Gurjar.

OLD NAME
(Rajkumar Gurjar)
(G 9)

NEW NAME
(Rajesh Gurjar)

नाम परिवर्तन

मैं, सउनि रामसहाय नामदेव पिता श्री फकीरे लाल नामदेव, 6वी वाहिनी, विसबल रांझी, जबलपुर (म.प्र.) मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामसहाय एवं पिता जी का नाम श्री फकीरेलाल दर्ज है जो कि गलत है। मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड एवं स्कूल सर्टिफिकेट में रामसहाय नामदेव पिता श्री फकीरेलाल नामदेव दर्ज है।

अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम रामसहाय नामदेव पिता श्री फकीरेलाल नामदेव दर्ज किया जाये।

पुराना नाम :
(रामसहाय)

नया नाम :
(रामसहाय नामदेव)
पिता श्री फकीरेलाल नामदेव

(G 10)

न्यायालय, पंजीयक, लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर
राजस्व प्रकरण क्रमांक/६२/बी-113(4)/2022-23

प्रारूप-4

सूचना पत्र नियम-4 (2) देखिए,

म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) एवं म0प्र0 लोकन्यास अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत

चूंकि आवेदक श्री 1008 शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर जी ट्रस्ट एम.आई.जी. 124 बी धनवंतरी नगर जिला जबलपुर म0प्र0 लोकन्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संघारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 13/09/2023 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों /दावों /सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची :- (लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम व पता :- श्री 1008 शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर जी ट्रस्ट
एम.आई.जी. 124 बी धनवंतरी नगर जिला जबलपुर म0प्र0

(G 11)

दिव्या अवस्थी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास पांडुरना, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /0001/बी113(1)/2022-2023

प्रारूप-चार

(नियम 5(1) देखिए)

सूचना पत्र

(म.प्र.लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए)

समक्ष - पंजीयक लोक न्यास पांडुरना जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

यह कि अध्यक्ष- श्री सुभाष पिता पुंडलिकराव अढाउ, सचिव- श्री एकनाथ पिता रामजी गोडबोले, कोषाध्यक्ष-देवीदास पिता सीताराम काम्बे, तीनो निवासी-गोरलीखापा, श्रीनाथ समाधि एवं हनुमान मंदिर महंत केशवदास महाराज न्यास गोरलीखापा, तहसील-पांडुरना के अधिवक्ता श्री के.यू.सांबारे द्वारा मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 /01/2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। मैं, लोक न्यास पंजीयक पांडुरना, जिला-छिन्दवाड़ा अपने न्यायालय में दिनांक 30/01/2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से "एक माह " अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता :- श्रीनाथ समाधि एवं हनुमान मंदिर महंत केशवदास महाराज न्यास गोरलीखापा, तहसील-पांडुरना, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

संपत्ति का विवरण :-1.

ग्राम गोरलीखापा, तहसील-पांडुरना, जिला-छिन्दवाड़ा की आबादी में स्थित हनुमान मंदिर एवं श्रीनाथ समाधि मंदिर।

गोरलीखापा में स्थित कृषि भूमि खससू नं. 282 रकबा 17.733 हे।

(G 12)

राजीव रंजन पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

क्र. -रीडर-1-22

जूनी, इंदौर, दिनांक 22 अगस्त 2022

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अंतर्गत]

रेटिना सेवा ट्रस्ट पता-312, स्कीम न. 54, पीयू-4, रसोमा स्क्वेर ए. बी. रोड, मेंदाता हास्पिटल के पास, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एव समय में स्वयं या अभिमाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

रेटिना सेवा ट्रस्ट पता-312, स्कीम न. 54, पीयू-4, रसोमा स्क्वेर ए. बी. रोड, मेंदाता हास्पिटल के पास, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :- रुपये 11,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार रुपये मात्र)

आज दिनांक 22/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

(G 13)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम धर्मद्र नाथ आर्य पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ आर्य था। अतः मेरा नाम धर्मन्द्र आर्य (DHARMENDRA ARYA) पुत्र श्री राजेन्द्र आर्य (RAJENDRA ARYA) हो गया है, भविष्य में इसी नाम से जाना जाए पता बिल्डिंग नं. A/2 फ्लैट नं.604, फार्चून सिग्नेचर, बावडिया कलां भोपाल

पुराना नाम
(धर्मद्र नाथ आर्य)
पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ आर्य

नया नाम
(धर्मन्द्र आर्य)
(DHARMENDRA ARYA)
पुत्र श्री राजेन्द्र आर्य
(RAJENDRA ARYA)

(G 14)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023-पौष 16, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)